—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 94/2019

उनवान

1. प्रेम पत्नी गोपाल
2. विक्रम पुत्र गोपाल
3. महेन्द्र पुत्र गोपाल
4. सजिया पुत्री गोपाल समस्त जाति मेहरात निवासी ग्राम भवानीखेडा, नसीराबाद

—— वादीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. मोती सिंह पुत्र दल्ला उर्फ दुला (फौत) जरिये वारिस
1/1. संतोष पत्नी मोती
1/2. उदय सिंह उर्फ कालू पुत्र मोती
2. प्रभु सिंह पुत्र गुलाब
3. बीरम सिंह पुत्र गुलाब
4. राम सिंह पुत्र गुलाब
5. सुखदेव पुत्र गुलाब
6. नीरा पत्नी गुलाब (तर्क)
7. अमरी पुत्री मंगला
8. महेन्द्र पुत्र मंगला
9. विजेन्द्र पुत्र मंगला
10. शारदा पुत्री मंगला
11. शान्ति पत्नी भवंर सिंह उर्फ भोलू
12. उपेन्द्र पुत्र भवंर सिंह उर्फ भोलू
13. उर्मिला पुत्री भवंर सिंह उर्फ भोलू
14. दीपू पुत्र भवंर सिंह उर्फ भोलू समस्त जाति मेहरात निवासी ग्राम भवानीखेडा, नसीराबाद
15. दी मेनेजर स्टेट बैंक आफ बडौदा शखा राजगढ
16 उप पंजीयक, नसीराबाद
17. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 16 व 17 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

दिनांक :— 29.11.24

—: निर्णय :—

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:15:55 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम चैनुपरा प. म. राजगढ में स्थित आराजी मुतदावा ... की है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

वंर्किग ख.न.	रकबा	हाल ख.न.	रकबा
6845	1—3—0	2367	0.02
		2368	0.06
		2369	0.10
6838	1—14—0	2374	0.10
		2375	0.17
6833	1—12—0	2380	0.26

उक्त आराजी चौसाला खसरा नम्बर 6845, 6838 व 6833 दल्ला पुत्र खुमा द्वारा क्रय की गयी, जिसका नामान्तकरण संख्या 20 दर्ज किया गया। दल्ला उर्फ दुला की मृत्यु हो गयी है जिसके 5 पुत्र मोती, गुलाब, गोपाल, मंगला व भंवर सिंह उर्फ भोलू का अंकन नामान्तकरण में किया गया। मोती, गुलाब, गोपाल, मंगला व भंवर सिंह उर्फ भोलू के वारिस वादी व प्रतिवादी हैं। आराजी मुतनाजा में प्रत्येक भाई का 1/5 हिस्सा निहित है। आराजी मुतनाजा को राजस्व अभिसलेख में पांचो भाई के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से गोपाल पुत्र दुला के नाम र्ज नही किया गया। तथा समस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 से 14 के नाम दर्ज कर दी गयी। बंदोबस्त विभाग द्वारा किये गये उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है तथा आराजी मुतनाजा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनजा का खातेदार नामान्तकरण संख्या 20 द्वारा वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुये किन्तु वाद विचारण के दौरान विधिवत रूप से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये।

राज. पैरोकर ने साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम चैनपुरा के वंर्किग खसरा नम्बर 6833 रकबा 1—12—0, 6838 रकबा 1—14—0 व 6845 रकबा 1—3—0 किता 3 रकबा 4—9—0 की आराजी नामान्तकरण संख्या 20 से मूल खातेदार/क्रेता दुला पि. खूमा के नाम दर्ज हुयी दुला पुत्र खूमा की मृत्यु होने के कारण इसी नामान्तकरण में दुला के 5 पुत्र मोती, गुलाब, गोपाल, मंगला व भंवर के नाम दर्ज हुयी। वंर्किग जमाबंदी में खाता संख्या 165 में उक्त आराजी गोपाल के अतिरिक्त अन्य 4 भाई मोती, गुलाब,, मंगला व भोलू पि दूला के नाम दर्ज कर दी गयी। उक्त वंर्किग जमाबंदी में दूला के वारिस गोपाल पुत्र दूला का नाम दर्ज नही किया गया। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। वंर्किग जमाबंदी के अन्य खातों में वादीगण के पिता का नाम दर्ज है। प्रतिवादीगण ने प्रकरण में कोई खण्डन पेश नही किया है। राज पैरोकार ने भी वाद का खण्डन नही किया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से वाद के कथनों की ताईद होती है। हाल इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादीगण उक्त आराजी पर 1/5 हिस्से पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम चैनुपरा के हाल खसरा नम्बर 2367, 2368, 2369, 2374, 2375, 2380 किता 6 रकबा 0.71 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किसा जाता है। वादीगण को उक्त आराजी पर 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:15:55 IST
Reason: SelfAttested

——3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

नामान्तकरण संख्या दिनांक 13.01.1987 के अनुसार उक्त आराजी पर मृतक दूला पुत्र खुमा के 5 पुत्र मोती, भोलू, मंगला, गुलाब व गोपाल/वारिसान प्रत्येक का 1/5 हिस्सा दर्ज किया जावे। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:15:55 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद
उनवान
प्रेम बनाम मोती सिंह

दावा बाबत :– 88, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 व 136 भू रा. अधि. 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 94/2018
पेश करने की दिनांक – 08.08.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम चैनुपरा के हाल खसरा नम्बर 2367, 2368, 2369, 2374, 2375, 2380 किता 6 रकबा 0.71 की आराजी पर वादीगण का वाद "स्वीकार" किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी पर 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। नामान्तकरण संख्या दिनांक 13.01.1987 के अनुसार उक्त आराजी पर मृतक दूला पुत्र खुमा के 5 पुत्र मोती, भोलू, मंगला, गुलाब व गोपाल/वारिसान प्रत्येक का 1/5 हिस्सा दर्ज किया जावे। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक—————— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 29 माह 11 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:15:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद